



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220840
CG-DL-E-04082020-220840

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942

No. 2268]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SHRAVANA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2562(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना सं का आ, 394 (अ) तारीख 28 मई 1999 के द्वारा उत्तर प्रदेश में राजस्थान में पिडंवारा के निकट रा. रा. सं. 14 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर उदयपुर, मांगरवाड, चितौडगढ, कोटा (रा. रा. सं. 12), शिवपुरी (रा. रा. सं. 3), झांसी (रा. रा. सं. 25), महोबा, बांदा, कर्वी, मऊ, होते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के रा. रा. सं. 27 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग को नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य का भाग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें पश्चात नियम कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 76 डिज़ाइन किमी० 326.400 से 379.842 (वर्तमान किमी० 326.000 से 379.555) (मऊ-जसरा सेक्शन) तक के खण्ड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो के प्रकार पर 50.042 किमी० की 2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित निवल सड़क खण्ड लम्बाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के लिए 60% तथा 3.40 किमी० की 4 और अधिक लेन निवल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के लिए 100% की दर पर यांत्रिक वाहन से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिये प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारिणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति कि०मी० आधार दर (रु.में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन माल, वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी सन्निर्माण मशीनरी(एचसीएम)य अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय (एमएवी)(4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क लम्बाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारिणी- 2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-76 पर प्रयागराज जिले में उमापुर ग्राम के निकट डिजाइन चैनेज 377.550	3.400 किमी.	4 और अधिक लेन के लिए उक्त सारिणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100 प्रतिशत
	50.042 किमी.	2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन के लिए उक्त सारिणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर- वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00 रुपये (दो सौ पचहत्तर रु. मात्र) होगी और यह नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात:-

सारिणी- 3		
संदेय राशि	अनुमत एक तरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घण्टे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के आधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम - 10 के उपनियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी। जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जायें।
6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी।
7. उक्त नियमों के नियम - 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।
8. ऊपर सारिणी - 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि०मी० शुल्क की आधार दर के आधार दर पर यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी उक्त नियमों के नियम -5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया जायेगा।
9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रु. 218.940 करोड़ है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेडों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किये जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जायेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वसूल किये गये प्रयोक्ताशुल्क के जरिये पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जायेगा और पूंजीगत लागत की वसूली के बाद लगाये जाने वाले शुल्क की दरों को 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा।

[फा. सं. NH-12014/16/2016/UP/NH-II]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

S.O. 2562(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 394 (E), the 28th May, 1999, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has declared the stretch of the highway starting from its junction with NH No. 14 near Pindwara in Rajasthan and connecting Udaipur, Mangarwar, Chittaurgarh, Kota (NH No. 12), Shivpuri (NH No. 3), Jhansi (NH No.25), Mahoba, Banda, Karwi, Mau and terminating at its junction with NH No. 27 near Allahabad in Uttar Pradesh as NH-76 and entrusted Uttar Pradesh portion to the Uttar Pradesh State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 50.042 km [for use of the two lane with paved shoulder section], and at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1, for net road section length of 3.400 km [for use of four and more lane section] on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below of Mau-Jasra section from design Km 326.400 to 379.842 (existing km 326.000 to 379.555) on the National Highways No. 76 in the state of Uttar Pradesh and authorises National Highways Authority of India (NHAI) to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table -1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plazas for the net road length specified for such Fee Plaza, namely :-

Table-2		
Location of Fee Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 377.550 (Design Chainage) of NH-76 Village-Umapur, Distt.-Prayagraj, Uttar Pradesh	3.400	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	50.042	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table -1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees two hundred & seventy-five only) for the year 2020-21, and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub- rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highways section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said rules.
8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
9. The estimated capital cost of the project is Rs. **218.940 Cr.** [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately.] The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee livable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NH-12014/16/2016/UP/NH-II]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.